पंजीकृत संख्या–यू०ए० / डी०ओ० / डी०डी०एन० / 30 / 2009–11
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड–10] रुड़की, शनिवार, दिनांक 06 जून, 2009 ई० (ज्येष्ठ 16, 1931 शक सम्वत्) [संख्या–23

विषय–सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग–अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग–अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
		रु०
सम्पूर्ण गजट का मूल्य	–	3075
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	187–191	1500
भाग 1–क–नियम, कार्य विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	213–216	1500
भाग 2–आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण	–	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	–	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 6–बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट	–	975
भाग 7–इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	–	975
भाग 8–सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	–	975
स्टोर्स पर्चेज–स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़-पत्र आदि ...	–	1425

भाग 1

विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

गृह अनुभाग–3

अधिसूचना

29 मई, 2009 ई०

संख्या 559/XX(3)–55/सीबीआई/2009–राज्यपाल, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम संख्या 2, सन् 1974) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल के परामर्श से सुश्री पारुल गैरोला, न्यायिक मजिस्ट्रेट, देहरादून को उत्तराखण्ड राज्य के सभी जिलों क्रमशः अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली, चम्पावत, देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, पौड़ी गढ़वाल, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, टिहरी गढ़वाल, ऊधमसिंह नगर एवं उत्तरकाशी के स्थानीय क्षेत्रों के अन्तर्गत ऐसे अपराधों की, जिनमें दिल्ली पुलिस अधिष्ठान अधिनियम, 1946 (अधिनियम संख्या 25, सन् 1946) के तहत केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा अन्वेषण किया गया हो अथवा आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया हो, देहरादून स्थित न्यायालय में जांच विचारण अथवा सत्र न्यायालय को सुपुर्द करने के लिए अधिकृत करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,

सुभाष कुमार,
प्रमुख सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification **no. 559/XX(3)-55/CBI/2009**, dated May 29, 2009 for general information:

NOTIFICATION

May 29, 2009

No. 559/XX(3)-55/CBI/2009--In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section (3) read with sub-section (1), (2) and (3) of Section 4 of Prevention of Corruption Act, 1988 (Act No. XXXXIX of the year 1988), the Governor, in consultation with the Hon'ble High Court of Uttarakhand at Nainital is pleased to confer on Ms. Parul Gairola, all powers to hear and try such cases, in which charge sheet is filed after investigation by the Central Bureau of investigation under the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (Act No. XXV of 1946) of cases which are pending, in the jurisdiction of all the Districts of Uttarakhand, namely, Dehradun, Pauri, Tehri, Rudraprayag, Uttarkashi, Chamoli, Hardwar, Nainital, Udhamsingh Nagar, Champawat, Bageshwar, Almora and Pithoragarh.

By Order,

SUBHASH KUMAR,
Principal Secretary, Home.

उद्यान एवं रेशम अनुभाग–1

अधिसूचना

प्रकीर्ण

22 मई, 2009 ई०

संख्या 268/XVI(1)/09/1(55)/216/2002–"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल, उत्तर प्रदेश उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण समूह "क" सेवा नियमावली, 1991 (उत्तरांचल राज्य में यथाप्रवृत्त) को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण समूह "क" सेवा नियमावली, 1991) (संशोधन) नियमावली, 2009

1–संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ–

(1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण समूह "क" सेवा नियमावली, 1991) (संशोधन) नियमावली, 2009 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2–नियम 5 का संशोधन–

उत्तर प्रदेश उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण समूह "क" सेवा नियमावली, 1991 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) के नियम 5 के उप नियम (2) में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान उप नियम (2) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया उप नियम रख दिया जायेगा, अर्थात :–

स्तम्भ–1 (वर्तमान नियम)	स्तम्भ–2 (एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम)
(2) अपर निदेशक–"सेवा में अपर निदेशक के पद से ठीक नीचे के पद पर मौलिक नियुक्ति वाले ऐसे अधिकारियों में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष की पहली जुलाई को ऐसे पदों पर दो वर्ष की मौलिक सेवा पूरी कर ली हो, चयन समिति के माध्यम से, पदोन्नति द्वारा।"	(2) अपर निदेशक–"सेवा में अपर निदेशक के पद से ठीक नीचे के पद पर मौलिक नियुक्ति वाले ऐसे अधिकारियों में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष की पहली जुलाई को ऐसे पदों पर दो वर्ष की मौलिक सेवा पूरी कर ली हो, चयन समिति के माध्यम से, पदोन्नति द्वारा : परन्तु यह कि यदि नियम (2) के अधीन पदोन्नति हेतु उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न हो, तो राज्यपाल, सरकार के किसी अन्य विभाग से प्रतिनियुक्ति के माध्यम से अथवा किसी भी उपलब्ध स्रोत से सांविधि संविदा पर नियुक्ति कर सकते हैं।"

आज्ञा से,

विनोद फोनिया,
सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification **no. 268/XVI/09/1(55)/216/2002**, dated May 22, 2009 for general information.

NOTIFICATION

Miscellaneous

May 22, 2009

No. 268/XVI/09/1(55)/216/2002--In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh Horticulture and Food Processing Group "A" Service Rules, 1991 (applicable to the State of Uttarakhand) --

THE UTTARAKHAND (THE UTTAR PRADESH HORTICULTURE AND FOOD PROCESSING GROUP "A" SERVICE RULES, 1991) (AMENDMENT) RULES, 2009

1. Short Title and Commencement--

(1) These Rules may be called the Uttarakhand (The Uttar Pradesh Horticulture and Food Processing Group "A" Service Rules, 1991) (Amendment) Rules, 2009.

(2) They shall come into force at once.

2. Amendment of rule 5--

In the Uttar Pradesh Horticulture and Food Processing Group "A" Service Rules, 1991 (applicable to the State of Uttarakhand) sub-rule (2) of rule 5 for the existing sub-rules (2) set out in column-1, below, the sub-rules as set out in column-2 shall be substituted, namely --

Column-1 (Existing Rule)	Column-2 (Rule as hereby substituted)
(2) Additional Director-"Such substantively appointed officers in service under the post of Additional Director, who have completed two years substantively Service on their respective posts on the first July of the year of recruitment, by Promotion recruitment through the selection committee."	**(2) Additional Director-**"Such substantively appointed officers in service under the post of Additional Director, who have completed two years substantively Service on their respective posts on the first July of the year of recruitment, by Promotion recruitment through the selection committee. Provided that if eligible candidates are not available for appointment under the rule (2), Governor may appoint through another Department of Government by deputation or on periodic contract through such available source."

By Order,

VINOD FONIA,
Secretary.

सिंचाई अनुभाग

कार्यालय ज्ञाप

28 मई, 2009 ई०

संख्या 1442/II-2002-01(108)/2002-शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 3949/II-2005-01(108)/02, दिनांक 10-11-05 एवं संख्या 1753/II-2006-01(109)/02, दिनांक 03-04-06 द्वारा उत्तराखण्ड सिंचाई विभाग के अन्तर्गत कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) की तदर्थ पदोन्नति सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर की गयी। उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड के मध्य कार्मिकों के आवंटन के फलस्वरूप तथा तदर्थ पदोन्नति प्राप्त कनिष्ठ अभियन्ताओं से वरिष्ठ कनिष्ठ अभियन्ताओं की तदर्थ पदोन्नति, ऐसे अभियन्ताओं द्वारा उत्तराखण्ड में कार्यभार ग्रहण न किये जाने के कारण तत्समय नहीं की जा सकी। रिट याचिका संख्या 344/SS/08 राजेन्द्र सिंह बनाम राज्य में मा० उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 02-01-09 को पारित आदेश में श्री राजेन्द्र सिंह की पदोन्नति सहायक अभियन्ता के पद पर किये जाने के निर्देश दिये गये। इसी क्रम में श्री राजेन्द्र सिंह कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) द्वारा मा० उच्च न्यायालय में अवमाननावाद संख्या 52/2009 मा० उच्च न्यायालय में योजित की गयी। श्री राजेन्द्र सिंह से वरिष्ठ तीन कनिष्ठ अभियन्ताओं की पदोन्नति भी उत्तराखण्ड शासन द्वारा कनिष्ठ अभियन्ताओं की सहायक अभियन्ता सिविल के पद पर तदर्थ पदोन्नति सम्बन्धित कार्मिकों द्वारा तत्समय उत्तराखण्ड राज्य में योगदान न दिये जाने के कारण नहीं की जा सकी।

2-उपरोक्त स्थिति के दृष्टिगत निम्नलिखित कनिष्ठ अभियन्ता सिविल की तदर्थ पदोन्नति शासन के उक्त कार्यालय ज्ञाप, दिनांक 10-11-05 एवं 03-04-06 की शर्तों के अधीन कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से सहायक अभियन्ता के पद पर वेतनमान रु० 8000-13500 (छठे वेतनमान के अनुसार पुनरीक्षित) में किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

अनारक्षित श्रेणी :

1. श्री सुरेश चन्द्र चौरसिया
2. श्री हरिओम सिंह
3. श्री राजेश कुमार
4. श्री राजेन्द्र सिंह

3—उपरोक्त तदर्थ रूप से पदोन्नत अधिकारियों द्वारा योगदान अपने वर्तमान कार्यस्थल पर ही दिया जायेगा तथा इनकी पदस्थापना के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

आज्ञा से,

विनोद फोनिया,
सचिव।

पी०एस०यू० (आर०ई०) 23 हिन्दी गजट/289—भाग 1—2009 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक—संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकृत संख्या-यू०ए० / डी०ओ० / डी०डी०एन० / 30 / 2009-11
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 06 जून, 2009 ई० (ज्येष्ठ 16, 1931 शक सम्वत्)

भाग 1—क

नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग

समक्ष—उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग, देहरादून

29 मई, 2009 ई०

पत्रांक एफ 9(22)आरजी / यूईआरसी / उविनिआ / 09 / 242

निम्नलिखित के मामले में :

वितरण अनुज्ञापी द्वारा एचटी / ईएचटी संयोजनों के संविदाकृत भार में वृद्धि / कमी करवाने के लिये कार्य प्रभार

कोरम

श्री वी०जे० तलवार — अध्यक्ष

श्री आनन्द कुमार — सदस्य

आदेश की दिनांक : 18-05-2009

आदेश

उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (आयोग) द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 के अधीन प्रदत्त शक्तियों और इस निमित्त सामर्थ्यकारी अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 5 दिसम्बर, 2008 को उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (नये ईएचटी व एचटी संयोजनों का जारी करना, भार में वृद्धि व कमी) विनियम, 2008 (विनियम) अधिसूचित किये गये थे। ये विनियम सरकारी गजट में प्रकाशन की तिथि दिसम्बर 20, 2008 से प्रवृत्त थे।

ये विनियम निम्नलिखित निर्दिष्ट करते हैं :—

(i) एचटी / ईएचटी संयोजन प्रदान करने के लिये शर्तें (विनियम 3);

(ii) नये एचटी / ईएचटी संयोजन हेतु आवेदन प्रक्रिया तथा आवेदन का प्रक्रमण, कार्य का निष्पादन, अप्रतिदेय शुल्क (प्रतिभूति एवं कार्य प्रभार राशि) देय एवं विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर संयोजन प्रदान करने में विफलता के फलस्वरूप दण्ड की दर (विनियम 4, 5 एवं 6);

(iii) आवेदन की वापसी / व्यपगत होना अथवा आवेदक की ओर से आपूर्ति लेना प्रारम्भ करने में विलम्ब (विनियम 7 एवं 8);

(iv) संविदाकृत भार में वृद्धि/कमी हेतु प्रक्रिया (विनियम 9);

(v) विनियम 10 में उल्लिखित प्रक्रिया एवं प्रभार के सम्बन्ध में सूचना प्रसार; तथा

(vi) बचत।

आयोग को उपभोक्ताओं से शिकायत प्राप्त हुई है कि विनियम 9 के अंतर्गत उनके संविदाकृत भार में वृद्धि के आवेदन के सापेक्ष विद्युत अनुज्ञापी (यू0पी0सी0एल0) विनियम 4(11) की सारणी–1 के अंतर्गत टर्मिनल उपस्कर के लिये निर्दिष्ट पूर्ण कार्य प्रभार राशि ले रहा है जिसमें एचटी केबल्स, सी0टी0, पी0टी0, मीटर क्यूबिकल इत्यादि के शुल्क सम्मिलित हैं जबकि केवल सी0टी0 ही परिवर्तित की जाती है तथा अन्य उपस्कर वही रहते हैं जिनके लिये व्यय उपभोक्ताओं द्वारा पूर्व में ही दे दिया जाता है।

विनियम 9(5) इस संदर्भ में व्याख्या करता है :–

"(5) भार में वृद्धि चाहने वाला उपभोक्ता वर्तमान भार हेतु पहले ही भुगतान की गई राशि के उचित समायोजन के पश्चात् बढाये गये भार हेतु प्रतिभूति का भुगतान करेगा तथा यदि वर्तमान उपस्कर/लाईनों में आवर्धन या बदलाव की आवश्यकता है तो उपरोक्त सारणी–1 के अनुसार टर्मिनल उपस्कर व/या लाईनों हेतु कार्य प्रभारों का भुगतान करेगा।"

इसी प्रकार, संविदाकृत भार में कमी सम्बन्धी विनियम 9(6) निम्न व्याख्या करता है :–

"(6) यदि उपभोक्ता द्वारा चाही गई भार में कमी से वर्तमान उपस्कर के बदलाव की आवश्यकता होती है तो उपभोक्ता उपरोक्त सारणी–1 के अनुसार टर्मिनल उपस्कर हेतु कार्य प्रभारों का भुगतान करेगा तथा कम किये गये भार हेतु आवश्यक प्रतिभूति तथा पहले से जमा प्रतिभूति के मध्य का अंतर अगले तीन बिलिंग चक्रों के भीतर समायोजित किया जायेगा।"

आयोग द्वारा विषय का परीक्षण किया गया एवं निष्कर्ष निकला कि एचटी/ईएचटी संयोजनों के संविदाकृत भार वृद्धि/कमी हेतु इन विनियमों की वर्तमान धाराओं के निष्पादन से विद्युत उपभोक्ताओं को अत्यधिक कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। आयोग द्वारा टर्मिनल उपस्कर के मानकीय शुल्क इस आधार पर आंकलित किये गये थे कि संविदाकृत भार की वृद्धि/कमी करते समय सभी टर्मिनल उपस्कर को परिवर्तित किये जाने की आवश्यकता होगी। अतः सभी उपस्कर की मानकीय राशि को पुनः प्राप्त किये जाने की आवश्यकता होगी। यद्यपि, व्यावहारिक रूप से सभी उपस्कर/लाईनें न ही बदली जाती हैं और न ही उनमें परिवर्तन की आवश्यकता होती है, यदि उसका पुनः उपयोग तकनीकी/वाणिज्यिक उपयोगिता के आधार पर संविदाकृत भार वृद्धि या कमी में हो सके तो किया जाना चाहिये। अनावश्यक उपस्कर/लाईनों का बदलाव बिना उनके उपयोगिता की जांच किये वर्तमान संसाधनों की बर्बादी है और यदि निकाले गये उपस्कर का उपयोग वितरण अनुज्ञापी किसी अन्य स्थान पर कर सकता है तो उसका उपयोग होना चाहिए और उसकी अवक्षयित लागत समायोजित होनी चाहिये।

प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0सी0एल0 से यू0पी0सी0एल0 के मत दिनांक 30–04–2009 को आयोग के समक्ष प्रस्तुत करने को कहा गया था। प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0सी0एल0 आयोग के उक्त तर्कों तथा निम्न निर्णयों से सहमत थे :–

अतः आयोग, उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (नये ईएचटी व एचटी संयोजनों का जारी करना, भार में वृद्धि व कमी) विनियम, 2008 के विनियम 10 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्णय करता है कि –

(i) इन विनियमों के अंतर्गत विनियम 9(5) एवं 9(6) में, संविदाकृत भार में वृद्धि/कमी के लिए पुराने टर्मिनल उपस्कर को निकालने और नये उपस्कर को स्थापित करने का कार्य प्रभार, नए उपस्कर की आंकलित लागत एवं श्रम प्रभार, जोकि नये उपस्कर की लागत के 10% समतुल्य होगा, के आधार पर देय होगा परन्तु इसकी अधिकतम सीमा सारणी–1 में इंगित सभी उपस्करों की कार्य प्रभार राशि के बराबर होगी एवं इस प्रभार को निकाले गये पुराने उपस्कर (रों) की अवक्षयित लागत से कम किया जायेगा, यदि उपभोक्ता ने इस/इन उपस्कर (रों) की लागत पूर्व में वहन की थी और यू0पी0सी0एल0 इसका/इनका पुनः उपयोग कर सकता है;

(ii) कार्य प्रभार के आंकलन को विनियम 4(8) के अंतर्गत उपभोक्ता को सूचित किया जाएगा,

यह आदेश दिनांक 18–05–2009 को पारित अंग्रेजी आदेश का हिन्दी रूपान्तरण है। किसी भी तरह के निर्वचन (व्याख्या) के लिए अंग्रेजी आदेश अन्तिम मान्य होगा।

(iii) उपस्कर के प्रतिस्थापन के वास्तविक व्यय पर आधारित उक्त प्रभार का समायोजन विनियम 5(10) के अंतर्गत जारी भांग पत्र में होगा;

(iv) उक्त खण्ड (i) एवं (iii) 20–12–2008 से प्रभावी माने जायेंगे, जिस तिथि से विनियम प्रभाव में आये।

ह0/–
(आनन्द कुमार)
सदस्य।

ह0/–
(वी0जे0 तलवार)
अध्यक्ष।

BEFORE UTTARAKHAND ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION, DEHRADUN

In the matter of :

Works Charges for enhancement/reduction of contracted load for HT/EHT connections to be charged by the distribution licensee

CORUM

Sh. V.J. Talwar--Chairman

Sh. Anand Kumar --Member

Date of the Order : 18.05.2009

ORDER

The Commission had issued UERC (Release of New HT & EHT Connections, Enhancement and Reduction of Loads) Regulations, 2008 (hereinafter termed as "Regulations") on 5.12.2008 after following due process of law. These Regulations were effective from 20.12.2008, the date of their notification in the official gazette.

These Regulations specify the following :–

(i) Conditions for grant of HT/EHT connections (Regulation 3);

(ii) Procedure for making application and release of new HT/EHT connection including time frame, charges (security, works charges etc.) to be paid for it and penalty for delay in release of connection (Regulations 4, 5, & 6);

(iii) Withdrawal/lapse of application and delay be applicant in taking supply (Regulations 7 & 8);

(iv) Procedure for Enhancement/Reduction in contracted load (Regulation 9);

(v) Information dissemination on procedure and charges specified in the Regulations (Regulation 10); and

(vi) Savings.

The Commission has received complaints from consumers that while enhancing the contracted load as per Regulation 9, UPCL is charging entire amount of works charges specified for terminal equipment in Table 1 of Regulation 4(11), which includes the charges for HT Cables, CT, PT, Meter cubicle etc., whereas only CT is replaced with other equipment remaining the same for which the cost has already been paid by them.

Regulation 9(5) in this regard stipulates that–

"(5) *A consumer seeking enhancement in load shall pay security for enhanced load after duly adjusting the amount already paid for existing load and,* ***if augmentation or replacement of existing equipment/lines is required, the works charges for the terminal equipment and/or lines as per Table 1 above.***"

Similarly, Regualtion 9(6) regarding reduction in contracted load stipulates that–

"(6) ***If the reduction in load, sought by the consumer involves replacement of existing equipment, them the consumer shall pay the works charges for the terminal equipment as per Table 1 above*** *and the difference between security deposit required for the reduced load and that already deposited shall be adjusted in the bills within the next three billing cycles.*"

The Commission has examined the matter and finds that there is genuine difficulty being faced by consumers in implementing the existing provisions of the Regulations for enhancement/reduction of contracted load for HT/EHT connections as they stand today. The Commission had specified normative charges for terminal equipment with the assumption that enhancement/reduction of contracted load would entail change of all terminal equipment and hence the normative cost of all equipment would need to be recovered. However, practically all equipment/lines are neither replaced nor need replacement if they can be re-used for enhanced/reduced load if they meet the technical/commercial requirements for the enhanced/reduced load. Replacing every equipment/line irrespective of its condition would mean unnecessary wastage of existing resources. Even the removed component if usable somewhere else by the distribution licensee should be used there and valued at its depreciated cost.

MD, UPCL was asked to present UPCL's views before the Commission on 30.4.2009. MD, UPCL agreed with Commission's above arguments and the following decision :--

Therefore, the Commission, in exercise of powers conferred to it by Regulation 10 of the UERC (Release of New HT & EHT Connections, Enhancement and Reduction of Loads) Regulations, 2008, decides that--

(i) In Regulation 9(5) and 9(6) of these Regulations, the works charges for enhancement/reduction of contracted load shall be payable based on estimated cost of new equipment and labour charges, equal to 10% of the cost of new equipment, for dismantling old terminal equipment and installing new equipment subject to a maximum of the charges specified for all equipment in Table 1 and such charges shall be reduced by the depreciated cost of equipment removed if their cost had been borne by the consumer and they are re-usable by UPCL;

(ii) the estimate of works charges has to be communicated to the consumer as per Regulation 4(8);

(iii) the adjustment for these charges based on actual expenditure for equipment replacement shall be done in the demand note to be issued as per Regulation 5(10)

(iv) (i) and (iii) above shall be deemed to have come into effect from 20.12.2008, the date of coming into effect of the Regulations.

Sd/-
(ANAND KUMAR)
Member

Sd/-
(V.J. TALWAR)
Chairman

पी०एस०यू० (आर०ई०) 23 हिन्दी गजट/289–भाग 1–क–2009 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।